फर्द अहकाम

कैलाश बनाम चंदालाल व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आबू

संख्या 16/2024 [प्रा. पत्र हजराम]

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/2/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने नवीन जमाबन्दी की प्रति (खाता सं. 542, 543, 544) को प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि न्यायालय आदेश व डिक्री दिनांक 08.08.24 की पालना के क्रम में आदेशानुसार खाता विभाजन कर पक्षकारान का पृथक खाता कायम किया जा चुका है। जिसके अब प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष/अपेक्षित नहीं है अतः प्रा. पत्र हजराम निस्तारित फरमाया जावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत दस्तावेज (जमाबन्दी) का अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड/जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री की पालना पूर्ण की जा चुकी है। जिसके संबंध में अन्य कोई कार्यवाही शेष अपेक्षित नहीं है अतः प्रस्तुत प्रा. पत्र हजराम अब लाहिल होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फुल शुमार होकर दर्ज नम्बर के क्रम हो। कार्य तकमील सलाम मुलवादे हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आबू

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.04.28 16:44:17 IST
Reason: SelfAttested